

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 310]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 26, 2013/अग्रहायण 5, 1935

No. 310]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 26, 2013/AGRAHAYANA 5, 1935

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 20 नवम्बर, 2013

सं. टीएमपी/58/2008-वीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, राजपत्र सं. 26 द्वारा 4 फरवरी, 2013 को अधिसूचित आदेश सं. टीएमपी/58/2008-वीपीटी, दिनांक 11 जनवरी, 2013 द्वारा अनुमोदित वीपीटी में सामान्य कार्गो बर्थ में कोकिंग तथा स्टीम कोयले के अभियंत्रिकृत प्रहस्तन के लिए मै. विजाग जनरल कार्गो बर्थ प्राइवेट लि. के दरमानों में अनुसूची (2) से (5) के लिए सामान्य टिप्पणी में संशोधन करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएमपी/58/2008-वीपीटी

कोरम:

- (i) श्री टी.एस. बालासुब्रह्मण्यम, सदस्य (वित्त)
- (ii) श्री सी.बी. सिंह, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(नवम्बर 2013 के 15वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने वीपीटी में सामान्य कार्गो बर्थ में कोकिंग तथा स्टीम कोयले के अभियंत्रिकृत प्रहस्तन के लिए विजाग जनरल कार्गो बर्थ प्राइवेट लिमिटेड (वीजीसीबीपीएल) के मामले में दरमान (एसओआर) अनुमोदित करते हुए एक आदेश सं. टीएमपी/58/2008-वीपीटी, दिनांक 11 जनवरी, 2013 पारित किया था।

2. उक्त आदेश दिनांक 11 जनवरी, 2013 में अनुमोदित दरमान में 2008 के दिशानिर्देशों के खंड 2.8 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक अनुवर्ती वर्षों के लिए प्रशुल्क सीमाओं में स्वतः समायोजन के लिए अनुसूची 6 के नीचे निम्नलिखित सामान्य टिप्पणी निर्धारित की गई थी:

6. उपर्युक्त अनुसूची (2) से (5) के लिए सामान्य टिप्पणी :

प्रषुल्क सीमाएं मुद्रास्फीति से सूचकांकित की जाएंगी परन्तु केवल 1 जनवरी, 2009 और प्रासंगिक वर्ष के 1 जनवरी के बीच आने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भिन्नता के 60 प्रतिशत की सीमा तक। प्रषुल्क सीमाओं का ऐसा स्वतः समायोजन प्रत्येक वर्ष किया जाएगा और समायोजित प्रषुल्क सीमाएं प्रासंगिक वर्ष के 1 अप्रैल से आगामी वर्ष के 31 मार्च तक प्रभावी रहेंगी।

3. अधिक स्पष्टता लाने के लिए कि आगामी वर्षों के दौरान बीओटी प्रचालक द्वारा लागू किए जाने वाले डब्ल्यूपीआई के 60 प्रतिशत पर स्वतः वार्षिक सूचकांकन विषाखापत्तनम पत्तन न्यास के लिए अधिसूचित मूल अपफ्रंट प्रषुल्क आदेश से संदर्भित होना चाहिए जिसे बोली दस्तावेज में पहले से ही दर्शाया गया है और वीजीसीबीपीएल के नाम में 4 फरवरी, 2013 को अधिसूचित सूचकांकित प्रषुल्क के संदर्भ में नहीं, यह प्राधिकरण आदेश सं. टीएएमपी/58/2008-वीपीटी, दिनांक 11 जनवरी, 2013 द्वारा अनुमोदित वीजीसीबीपीएल के दरमान में अनुसूची 6 के नीचे निर्धारित अनुसूची (2) से (5) के लिए मौजूदा सामान्य टिप्पणी को निम्नलिखित से परिवर्तित करता है :

6. “उपर्युक्त अनुसूची (2) से (5) के लिए सामान्य टिप्पणी :

विजाग जनरल कार्गो बर्थ प्राइवेट लिमिटेड के दरमान में प्रषुल्क सीमाएं निर्धारित करते समय इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएएमपी/58/2008-वीपीटी, दिनांक 27 नवम्बर, 2009 द्वारा अनुमोदित अपफ्रंट प्रषुल्क पर विचार करते हुए और 1 जनवरी, 2009 और प्रासंगिक वर्ष के 1 जनवरी के बीच आने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भिन्नता के 60 प्रतिशत की सीमा तक सूचकांकन लागू किया गया था। आगामी वर्षों के लिए भी, आदेश सं. टीएएमपी/58/2008-वीपीटी, दिनांक 27 नवम्बर, 2009 में अनुमोदित अपफ्रंट प्रषुल्क 1 जनवरी, 2009 और प्रासंगिक वर्ष के 1 जनवरी के बीच आने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भिन्नता के 60 प्रतिशत की सीमा तक ही मुद्रास्फीति से सूचकांकित किया जाएगा। प्रषुल्क सीमाओं का ऐसा स्वतः समायोजन प्रत्येक वर्ष किया जाएगा और समायोजित प्रषुल्क सीमाएं प्रासंगिक वर्ष के 1 अप्रैल से आगामी वर्ष के 31 मार्च तक प्रभावी रहेगा।”

टी.एस. बालासुब्रह्मण्यम, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन III/4/असा./143/13]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION

Mumbai, the 20th November, 2013

No.TAMP/58/2008-VPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby amends the general note to Schedule (2) to (5) incorporated in Scale of Rates of M/s.Vizag General Cargo Berth Private Ltd. for mechanized handling of coking and steam coal at the General Cargo Berth at VPT approved *vide* Order No. TAMP/58/2008-VPT, dated 11th January, 2013 notified on 4th February, 2013 *vide* Gazette No. 26 as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports
Case No. TAMP/58/2008-VPT

QUORUM:

- (i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri. C.B. Singh, Member (Economic)

O R D E R

(Passed on 15th day of November, 2013)

This Authority has passed an Order No.TAMP/58/2008-VPT dated 11th January, 2013 approving the Scale of Rates (SOR) in case of Vizag General Cargo Berth Private Limited (VGCBPL) for mechanized handling of coking and steam coal at the General Cargo Berth at VPT. This Order has been notified in the Gazette of India on 4th February, 2013 *vide* G. No. 26.

2. The Scale of Rates approved in the said Order dated 11th January, 2013 prescribes, *inter alia*, the following General note under Schedule 6 for automatic adjustment in tariff caps for every subsequent years in line with the provisions of clause 2.8. of 2008 guidelines:

6. GENERAL NOTE TO SCHEDULE (2) TO (5) ABOVE :

The tariff caps will be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1st January, 2009 and 1st January of the relevant year. Such automatic adjustment of tariff caps will be made every year and the adjusted tariff caps will come into force from 1st April of the relevant year to 31st March of the following year.

3. In order to bring in more clarity that the automatic annual indexation at 60% of WPI to be applied by the BOT operator during the subsequent years has to be with reference to the original upfront tariff Order notified for Vizagapatnam Port Trust which is already indicated in the bid document and not with reference to the indexed tariff notified on 4th February, 2013 in the name of the VGCBPL, this Authority replaces the existing General note to Schedules (2) to (5) prescribed under Schedule 6 in the SOR of VGCBPL approved *vide* Order No. TAMP/58/2008-VPT, dated 11th January, 2013 with the following:

6. “GENERAL NOTE TO SCHEDULE (2) TO (5) ABOVE :

The tariff caps prescribed in the Scale of Rates of Vizag General Cargo Berth Private Limited takes into consideration the upfront tariff approved by the Authority *vide* Order No. TAMP/58/2008-VPT, dated 27th November, 2009 and applying indexation to the extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1st January, 2009 and 1st January of the relevant year. For the subsequent years as well, upfront tariff approved in the Order No. TAMP/58/2008-VPT dated 27th November, 2009 will be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1st January, 2009 and 1st January of the relevant year. Such automatic adjustment of tariff caps will be made every year and the adjusted tariff caps will come into force from 1st April of the relevant year to 31st March of the following year.”

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)
[ADVT. III/4/Exty./143/13]